न्यायालय सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : श्री नरेश सोनी, आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या /2021

वादी :–

तरूण चौधरी पुत्र बालाराम जाति जाट
नि० फाड़ोई नाडी तहसील पचपदरा

तहसील पचपदरा जिला बाडमेर ।

बनाम

प्रतिवादीगण :–

1 बालाराम पुत्र देराजराम जाति जाट
2 तहसीलदार, पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 वास्ते घोषणा व दुरूस्ती

उपस्थिति :– 1. श्री तरूण चौधरी स्वंय वादी।
2..श्री बालाराम प्रतिवादीगण
3. तहसीलदार पचपदरा

निर्णय

दिनांक :– 12-10-2021

वादी के द्वारा वादपत्र के सक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी व कब्जा काश्त की भूमि खेत खसरा नं 345/1 रकबा 42-00 बीघा, सरहद मौजा फाड़ोई नाडी तहसील पचपदरा मे स्थित है जिस पर वादी का कब्जा काश्त है। वादी के बचपन में लाड प्यार से बोले जाने वाला नाम ~~तरूण चौधरी~~ नगाराम होने से राजस्व रेकर्ड में नगाराम दर्ज किया गया, जबकि वादी का अन्य सभी दस्तावेजात भारत सरकार द्वारा जारी आधार कार्ड संख्या 844431677277 जन आधार कार्ड संख्या 8वीं कक्षा की अंकतालिका 2004 मतदाता परिचय पत्र संख्या एसएसबी / ड्राइविंग लाइसेंस राशन कार्ड संख्या तरूण चौधरी नाम दर्ज है जिससे वादी को बैंक से ऋण लेने, किसान अनुदान लेने, अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा प्राप्त करने में कई कठिनाईयों का सामना करना पड रहा है। वादी नें राजस्व रेकर्ड में अंकित गलत नाम इन्द्राज नगाराम के स्थान पर तरूण चौधरी सही नाम घोषित करवाने का निवेदन किया गया।

(नरेश सोनी)
सहायक कलेक्टर

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

प्रतिवादीगण संख्या 1 राजस्थान राज्य की तरफ से ईकबाली जबाबदावा पेश कर वादी के वाद पत्र के समस्त तथ्यों को सही होना स्वीकार किया गया एवं वादी का बचपन नाम ...भगाराम... के स्थान पर ...भगवान-चौधरी... दुरूस्ती की जाती है, तो उन्हे कोई आपत्ति व उज्र एतराज नहीं है।

वाद पत्र में अंकित तथ्यों की जांच ...तहसीलदार पचपदरा... तहसील पचपदरा से करवाई गई। राजस्थान राज्य की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जिसमें नाम दुरूस्ती करने की सहमति प्रकट की गई है।

हमनें पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन पाया गया कि खेत खसरा नं ...3451... रकबा ...42-00... बीघा, सरहद मौजा ...पादरड़ी... तहसील पचपदरा वादी का नाम बचपन में लाड–प्यार का नाम ...भगाराम... दर्ज किया गया वादी द्वारा साक्षी में प्रस्तुत दस्तावेजात में अर्थात अन्य सरकारी व अन्य अर्द्वसरकारी दस्तावेजों सरंपचं ग्राम पंचायत रामसीन एवं तहसीलदार ...पचपदरा... की जांच रिपोर्ट के अवलोकन स्पष्ट साबित है कि वादी के बचपन का नाम ...भगाराम... दर्ज किया गया है वादी का सही नाम ...भगवान-चौधरी... है, ऐसी स्थिति में वादी के वाद को स्वीकार करने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर तहसीलदार पचपदरा की मजमें आम मे की मौका रिपोर्ट के आधार पर खेत खसरा नं ...3451... रकबा ...42-00... बीघा, सरहद मौजा ...पादरड़ी... वादग्रस्त आराजी में वादी का गलत नाम ...भगाराम... पुत्र ...धन्नाराम... के स्थान पर ...भगवान-चौधरी... पुत्र ...धन्नाराम... खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक ...12-10-2021... **को कोर्ट केम्प कोर्ट** ...जसोल... **में मजमे आम में सुनाया गया।**

(नरेश सोनी)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
(SDO) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.05.14 18:45:52 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner